2026:CGHC:3511

अप्रतिवेद्य

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

निर्णय सुरक्षित दिनांक–07/01/2026

निर्णय उद्घोषित दिनांक–21/01/2026

दोषमुक्ति अपील क्रमांक–74/2024

- नीतू साहू पति–स्वर्गीय तोरण साहू, उम्र–लगभग 35 वर्ष, निवासी–खमतराई, बैमा नगोई, पुलिस थाना–सरकण्डा, जिला–बिलासपुर, छत्तीसगढ़.

-----अपीलार्थी/मृतक की पत्नी

विरूद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना प्रभारी, पुलिस थाना–सरकण्डा, जिला–बिलासपुर, छत्तीसगढ़ **(राज्य),**
2. सोनू साहू पिता–रामचरण साहू, उम्र–लगभग 29 वर्ष, निवासी–रामायण चौक, ठाकुर देव मंदिर के पास, पुलिस थाना–सरकण्डा, जिला–बिलासपुर, छत्तीसगढ़ **(अभियुक्त)**.

-----उत्तरवादीगण

अपीलार्थी/मृतक की पत्नी द्वारा	:	श्री कुंवर लाल साहू, अधिवक्ता ।
राज्य/उत्तरवादी क्रमांक–1 द्वारा	:	श्री गोरेलाल उइके, पैनल अधिवक्ता ।
अभियुक्त/उत्तरवादी क्रमांक–2 द्वारा	:	श्री के०पी०एस० गांधी, अधिवक्ता ।

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार जायसवाल, न्यायाधीश

!! सी.ए.वी. निर्णय !!

1. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा–372 के तहत दोषमुक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत इस अपील में विचारण न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर, जिला–बिलासपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक–270/2021 "छत्तीसगढ़ राज्य **विरूद्ध** सोनू साहू" में पारित निर्णय दिनांक–06/01/2024 की वैधता को चुनौती दी गई है । जिसके तहत विचारण न्यायालय द्वारा अभियोजन का मामला प्रमाणित न पाते हुए अभियुक्त/उत्तरवादी क्रमांक–2 को संदेह का लाभ देते हुए धारा–306 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अपराध से दोषमुक्त किया गया है । जिसे आगे "प्रश्नाधीन निर्णय" से संबोधित किया जा रहा है ।

2. अभियोजन मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि तोरण साहू, निवासी बिलासपुर, रपटा चौक स्थित बंधु कॉम्प्लेक्स में "माँ दुर्गा डेकोरेशन" के नाम से टेंट एवं डेकोरेशन की दुकान का संचालन करता था । उसकी पत्नी नीतू साहू (अ.सा.–7) की बहन निरूपा साहू (अ.सा.–2) अविवाहित थी । अभियुक्त सोनू साहू, जो पूर्व से विवाहित था, वह निरूपा साहू से प्रेम करता था तथा उससे विवाह करना चाहता था, जिसके लिए वह मृतक तोरण साहू पर निरंतर दबाव बनाया करता था । निरूपा साहू (अ.सा.–2) का जहाँ–जहाँ विवाह तय होता था, वहाँ अभियुक्त सोनू साहू जाकर कुछ न कुछ कहकर उक्त विवाह तुड़वा देता था, जिससे निरूपा साहू का बहनोई तोरण साहू अत्यंत परेशान रहने लगा था । उक्त बातों को लेकर मृतक तोरण साहू और अभियुक्त सोनू साहू के मध्य विवाद भी हो चुका था । दिनांक 23/06/2021 को प्रातः लगभग 07:00 से 08:00 बजे के मध्य तोरण साहू अपने घर से दुकान जाने के लिए निकला । उसी दिन दोपहर लगभग 11:23 बजे उसने अपने मोबाइल फोन के *व्हाट्सएप* पर एक स्टेटस अपलोड किया, जिसमें यह उल्लेख किया

गया था कि अभियुक्त द्वारा उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसके कारण वह आत्महत्या कर रहा है । उक्त *व्हाट्सएप* स्टेटस को देखकर जब दुकान में कार्य करने वाले कर्मचारी एवं परिजन गोदाम पहुँचे, तो उन्होंने तोरण साहू को रस्सी के फंदे से लटका हुआ पाया । तत्पश्चात उसे नीचे उतारकर उपचार हेतु *सिम्स अस्पताल, बिलासपुर* ले जाया गया, जहाँ उपस्थित चिकित्सक द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया । घटना की सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर शव का परीक्षण कराया गया । मर्ग जाँच उपरांत अपराध पंजीबद्ध किया गया । घटनास्थल का नक्शा तैयार किया गया, कथित *व्हाट्सएप* स्टेटस से संबंधित साक्ष्य संकलित किए गए, अभियुक्त से मोबाइल फोन की जब्ती की गई तथा साक्षियों के कथन दर्ज किए गए । संपूर्ण विवेचना पूर्ण किए जाने के पश्चात अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया ।

3. आरोप के प्रमाणन वास्ते अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में विचारण न्यायालय के समक्ष 16 साक्षियों का परीक्षण कराया गया तथा 17 दस्तावेज प्रदर्श चिन्हांकित कराए गए । धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कथन में अभियुक्त ने अपने विपरीत साक्षियों के कथनों को इनकार करते हुए स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फंसा जाना बताया । अभियुक्त ने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया । तत्पश्चात विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुना जाकर प्रश्नाधीन दोषमुक्ति का निर्णय पारित किया गया । जिसे इस अपील में चुनौती दी गई है ।

4. अपीलार्थी/मृतक की पत्नी की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य की उचित विवेचना नहीं की गई, जबकि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह तथ्य संदेह से परे प्रमाणित हुआ है कि अभियुक्त सोनू साहू की

दुष्प्रेरणा के फलस्वरूप ही मृतक तोरण साहू ने आत्महत्या की । तथापि, विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का समुचित मूल्यांकन किए बिना प्रश्नाधीन निर्णय पारित कर अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया, जो तथ्य एवं विधि दोनों की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण तथा स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । अतः वर्तमान अपील स्वीकार किए जाने, प्रश्नाधीन दोषमुक्ति के निर्णय को अपास्त किए जाने तथा अभियुक्त को दोषसिद्ध कर दण्डित किए जाने का निवेदन किया गया है ।

5. राज्य/उत्तरवादी क्रमांक–1 के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलार्थी/मृतक की पत्नी के तर्कों का समर्थन किया है ।

6. अभियुक्त/उत्तरवादी क्रमांक–2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विचारण न्यायालय के "प्रश्नाधीन निर्णय" का समर्थन करते हुए तर्क दिया गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा जो दोषमुक्ति का निष्कर्ष अंकित किया गया है, वह पूर्णतः उचित है । अपीलार्थी/राज्य पक्ष द्वारा अपील में उठाए गए तर्क स्वीकार योग्य नहीं हैं । अतः अपील खारिज की जाए ।

7. उभयपक्ष का तर्क श्रवण किया गया और विचारण न्यायालय के अभिलेख का सूक्ष्मतापूर्वक परिशीलन किया गया ।

8. प्रकरण में मृतक तोरण साहू के भाई गोवर्धन साहू (अ.सा.–1), पत्नी नीतू साहू (अ.सा.–7), साली निरूपा साहू (अ.सा.–2), माता अमृत बाई (अ.सा.–3), पिता फागूराम साहू (अ.सा.–4), भाई की पत्नी सोनम साहू (अ.सा.–6) तथा रिश्ते में साला चंपेश कुमार साहू (अ.सा.–8) के कथन एवं चिकित्सक आर.के. मरकाम (अ.सा.–12) द्वारा प्रमाणित शव परीक्षण प्रतिवेदन, प्रदर्श पी–13, के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि तोरण साहू

की मृत्यु गले में फाँसी का फंदा लगाने से श्वांसगति अवरुद्ध होने के कारण हुई थी । इस प्रकार तोरण साहू की मृत्यु आत्महत्या की प्रकृति की थी । विचारण न्यायालय द्वारा इस संबंध में निकाला गया निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध तथ्य एवं साक्ष्य के प्रतिकूल अथवा विरोधाभासी नहीं है, अतः उक्त निष्कर्ष उचित पाया जाता है ।

9. दूसरा विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या मृतक तोरण साहू ने अभियुक्त सोनू साहू की दुष्प्रेरणा के फलस्वरूप आत्महत्या की थी?

10. न्यायदृष्टांत **Mallappa and other v. State of Karnataka, (2024) 3 SCC 544** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत अपील के निराकरण हेतु कुछ न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं जो कण्डिका–42 में निम्नानुसार हैः–

> **"42.** Our criminal jurisprudence is essentially based on the promise that no innocent shall be condemned as guilty. All the safeguards and the jurisprudential values of criminal law, are intended to prevent any failure of justice. The principles which come into play while deciding an appeal from acquittal could be summarised as:
>
> (i) Appreciation of evidence is the core element of a criminal trial and such appreciation must be comprehensive inclusive of all evidence, oral or documentary;
>
> (ii) Partial or selective appreciation of evidence may result in a miscarriage of justice and is in itself a ground of challenge;

(iii) If the court, after appreciation of evidence, finds that two views are possible, the one in favour of the accused shall ordinarily be followed;

(iv) If the view of the trial court is a legally plausible view, mere possibility of a contrary view shall not justify the reversal of acquittal;

(v) If the appellate court is inclined to reverse the acquittal in appeal on a reappreciation of evidence, it must specifically address all the reasons given by the trial court for acquittal and must cover all the facts;

(vi) In a case of reversal from acquittal to conviction, the appellate court must demonstrate an illegality, perversity or error of law or fact in the decision of the trial court.**"**

11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त विधि सिद्धांत के आलोक में विचारणीय मूल प्रश्न यह है कि क्या वर्तमान प्रकरण में अभियोजन द्वारा ऐसा पर्याप्त, ठोस, सुसंगत एवं विश्वासनीय साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, जिसके आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप कर उसे दोषसिद्धि में परिवर्तित करना विधिसम्मत एवं न्यायोचित ठहराया जा सके ।

12. In the matter of **Naresh Kumar v. State of Haryana** reported in **(2024) 3 SCC 573**, Hon'ble Supreme Court has been principally laid down the factum of abetment of suicide and held that there should be clear and reliable evidence for abetment, which shows that after abetment, there was no other option left for suicide. Hon'ble Supreme Court has held as under:

"15. Section 306 of the IPC reads as under :-

> “**306. Abetment of suicide.**—If any person commits suicide, whoever abets the commission of such suicide, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.”

16. Thus, the basic ingredients to constitute an offence under Section 306 of the IPC are suicidal death and abetment thereof. Abetment of a thing is defined under Section 107 IPC as under:-

> “**107. Abetment of a thing.**—A person abets the doing of a thing, who—
>
> First.—Instigates any person to do that thing; or
>
> Secondly.—Engages with one or more other person or persons in any conspiracy for the doing of that thing, if an act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy, and in order to the doing of that thing; or
>
> Thirdly.—Intentionally aids, by any act or illegal omission, the doing of that thing.
>
> *Explanation* 1.— A person who by wilful misrepresentation, or by wilful concealment of a material fact which he is bound to disclose, voluntarily causes or procures, or attempts to cause or procure, a thing to be done, is said to instigate the doing of that thing.
>
> *Explanation* 2.— Whoever, either prior to or at the time of the commission of an act, does anything in order to facilitate the commission of that act, and thereby facilitate the commission thereof, is said to aid the doing of that act.”

17. This Court in **Geo Varghese** v. **State of Rajasthan, (2021) 19 SCC 144**, has considered the provisions of Section 306 IPC along with the definition of abetment under Section 107 IPC observed as under:-

"*14.* Section 306 of IPC makes abetment of suicide a criminal offence and prescribes punishment for the same. …

15. The ordinary dictionary meaning of the word 'instigate' is to bring about or initiate, incite someone to do something. This Court in **Ramesh Kumar v. State of Chhattisgarh (2001) 9 SCC 618,** has defined the word 'instigate' as under:-

> "20. Instigation is to goad, urge forward, provoke, incite or encourage to do "an act"."

16. The scope and ambit of Section 107 IPC and its co-relation with Section 306 IPC has been discussed repeatedly by this Court. In the case of **S.S. Cheena** v. **Vijay Kumar Mahajan (2010) 12 SCC 190**, it was observed as under:-

> "25. Abetment involves a mental process of instigating a person or intentionally aiding a person in doing of a thing. Without a positive act on the part of the accused to instigate or aid in committing suicide, conviction cannot be sustained. The intention of the legislature and the ratio of the cases decided by the Supreme Court is clear that in order to convict a person under Section 306 IPC there has to be a clear mens rea to commit the offence. It also requires an active act or direct act which led the deceased to commit suicide seeing no option and that act must have been intended to push the deceased into such a position that he committed suicide."

18. This Court in **M. Arjunan** v. **State, represented by its Inspector of Police, (2019) 3 SCC 315**, while explaining the necessary ingredients of Section 306 IPC in detail, observed as under:-

> "7. The essential ingredients of the offence under Section 306 I.P.C. are: (i) the abetment; (ii) the intention of the accused to aid or instigate or abet the deceased to commit suicide. The act of the accused, however, insulting the deceased by using abusive language will not, by itself, constitute the abetment of suicide. There should be evidence capable of suggesting that the accused intended by such act to instigate the deceased to commit suicide. Unless the ingredients of instigation/abetment to commit suicide are satisfied, accused cannot be convicted under Section 306 IPC."

19. This Court in **Ude Singh** v. **State of Haryana, (2019) 17 SCC 301**, held that in order to convict an accused under Section 306 IPC, the state of mind to commit a particular crime must be visible with regard to determining the culpability.

20. This Court in **Mariano Anto Bruno** v. **The Inspector of Police**, **(2023) 15 SCC 560**, after referring to the abovereferred decisions rendered in context of culpability under Section 306 IPC observed as under:-

> "45. ……It is also to be borne in mind that in cases of alleged abetment of suicide, there must be proof of direct or indirect acts of incitement to the commission of suicide. Merely on the allegation of harassment without their being any positive action proximate to the time of occurrence on the part of the accused which led or compelled the person to commit suicide, conviction in terms of Section 306 IPC is not sustainable."

21. This Court in **Gurcharan Singh v. State of Punjab, (2020) 10 SCC 200**, observed that whenever a person instigates or intentionally aids by any act or illegal omission, the doing of a thing, a person can be said to have abetted in doing that thing. To prove the offence of abetment, as specified under Section 107 IPC, the

state of mind to commit a particular crime must be visible, to determine the culpability.

22. This Court in **Kashibai v. The State of Karnataka, (2023) 15 SCC 751**, observed that to bring the case within the purview of 'Abetment' under Section 107 IPC, there has to be an evidence with regard to the instigation, conspiracy or intentional aid on the part of the accused and for the purpose proving the charge under Section 306 IPC, also there has to be an evidence with regard to the positive act on the part of the accused to instigate or aid to drive a person to commit suicide.**"**

13. उपरोक्त न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में दुष्प्रेरणा के संबंध में प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करने पर यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण के प्रमुख साक्षी मृतक की साली निरूपा साहू (अ.सा.–2), पत्नी नीतू साहू (अ.सा.–7), भाई गोवर्धन साहू (अ.सा.–1) तथा रिश्ते में साला चंपेश कुमार साहू (अ.सा.–8) हैं। जिन सभी ने कहा है कि निरूपा साहू का जहाँ–जहाँ विवाह तय होता था वहाँ अभियुक्त सोनू साहू जाकर उक्त विवाह को तुड़वा देता था तथा निरूपा साहू एवं उसके परिजनों को यह धमकी देता था कि यदि उसका विवाह कहीं अन्यत्र किया गया तो वह उसे जान से मार देगा। यह भी कथित है कि घटना के ठीक पूर्व मृतक तोरण साहू ने अपने मोबाइल के व्हाट्सएप में यह उल्लेख किया था कि वह अभियुक्त द्वारा की जा रही मानसिक प्रताड़ना के फलस्वरूप आत्महत्या कर रहा है, जिन तथ्यों के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन प्रस्तुत किया गया, किंतु अभियोजन साक्ष्यों में आवश्यक स्पष्टता एवं सुसंगति के अभाव में अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त की दुष्प्रेरणा के कारण ही मृतक तोरण साहू ने आत्महत्या की थी।

14. अभियुक्त सोनू साहू जिस **निरूपा साहू (अ.सा.–2)** से विवाह करना चाहता था, उस साक्षी निरूपा साहू ने अपने न्यायालयीन कथन में यह स्पष्ट किया है कि अभियुक्त से उसकी

जान–पहचान होने के पश्चात मोबाइल के माध्यम से बातचीत होती थी, अभियुक्त उसे पसंद करता था तथा उससे विवाह करने के लिए दबाव डालता था, जिससे वह परेशान रहने लगी थी; किंतु जब उसे यह जानकारी प्राप्त हुई कि अभियुक्त पूर्व से विवाहित है, तब उसने अभियुक्त से अपने संबंध समाप्त कर लिए । यह भी कही है कि अभियुक्त द्वारा उसे परेशान किया जाता था, उसके विवाह तुड़वाए जाते थे तथा उसे जान से मारने की धमकी दी जाती थी, तथापि इस संबंध में उसके द्वारा कभी भी पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई । उसने यह भी स्वीकार किया है कि उसके जीजा तोरण साहू द्वारा भी अभियुक्त के विरुद्ध कभी कोई पुलिस शिकायत नहीं की गई थी । इसके अतिरिक्त, उसने यह स्वीकार किया है कि दिनांक 30/06/2021 को, अर्थात् घटना के लगभग एक सप्ताह पश्चात, उसका विवाह ग्राम बहतराई में होना तय था, किंतु उक्त विवाह को तुड़वाने हेतु अभियुक्त द्वारा कोई प्रयास किया गया हो, इस संबंध में भी कोई शिकायत पुलिस में नहीं की गई । साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि बार–बार विवाह टूटने के कारण उसने स्वयं कभी आत्महत्या करने का कोई प्रयास नहीं किया था । अंत में, उसने यह भी स्वीकार किया है कि तोरण साहू का बहनोई अधिवक्ता है तथा अभियोगपत्र में संलग्न उसके कथन उसे पढ़कर सुनाए और समझाए गए थे ।

15. मृतक के भाई गोवर्धन साहू (अ.सा.–1) ने अपने न्यायालयीन कथन में यह स्वीकार किया है कि मृतक तोरण साहू एवं अभियुक्त सोनू साहू के मध्य बातचीत तथा विवाद हुआ था, जिसके पश्चात अभियुक्त के परिजनों को बुलाकर समझाइश दिए जाने पर विवाद शांत हो गया था । संपूर्ण अभियोजन साक्षियों के कथनों से यह भी परिलक्षित होता है कि अभियुक्त एवं निरूपा साहू (अ.सा.–2) के मध्य प्रेम संबंध होने के कारण कई अवसरों पर विवाद की

स्थिति उत्पन्न हुई थी; तथापि, इन परिस्थितियों के होते हुए भी निरूपा साहू (अ.सा.–2) द्वारा कभी आत्महत्या करने का कोई प्रयास नहीं किया गया ।

16. मृतक तोरण साहू की पत्नी नीतू साहू (अ.सा.–7) ने अपने न्यायालयीन कथन में यह स्वीकार किया है कि दिनांक 30/06/2021 को उसकी बहन निरूपा साहू (अ.सा.–2) का विवाह पींटू साहू के साथ होना तय हुआ था तथा घटना से एक दिन पूर्व दिनांक 22/06/2021 को पींटू साहू के परिजनों द्वारा साड़ी आदि लेकर आने पर एक लघु कार्यक्रम आयोजित किया गया था, किंतु उक्त कार्यक्रम में न तो वह स्वयं और न ही उसका पति तोरण साहू (मृतक) सम्मिलित हुए थे । उसने बचाव पक्ष के इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि उसके पति तोरण साहू को उक्त कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था, तथापि वह उसमें सम्मिलित नहीं हुआ । नीतू साहू ने यह भी स्वीकार किया है कि उसका पति तोरण साहू आमंत्रित किए जाने के बावजूद इसलिए कार्यक्रम में नहीं गया था क्योंकि वह उस कार्यक्रम को सहन करने की मानसिक स्थिति में नहीं था । इस प्रकार, बचाव पक्ष द्वारा यह तथ्य लाया गया है कि स्वयं तोरण साहू, यह नहीं चाहता था कि उसकी साली निरूपा साहू (अ.सा.–2) का विवाह कहीं, संपन्न हो । ऐसी परिस्थितियों में अभियुक्त द्वारा की गई कथित प्रताड़ना के फलस्वरूप तोरण साहू द्वारा आत्महत्या किए जाने का तथ्य संदेहास्पद हो जाता है ।

17. इस बिंदु पर एक अन्य प्रमुख साक्षी चंपेश कुमार साहू (अ.सा.–8) है, जो निरूपा साहू (अ.सा.–2) एवं नीतू साहू (अ.सा.–7) का भाई है तथा मृतक रिश्ते में उसका बहनोई लगता था । उक्त साक्षी ने अपने न्यायालयीन कथन में यह स्वीकार किया है कि घटना से एक दिन पूर्व दिनांक 22/06/2021 को उसकी बहन निरूपा साहू (अ.सा.–2) के

विवाह के संबंध में एक छोटा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें मृतक तोरण साहू एवं उसकी पत्नी नीतू साहू को आमंत्रित नहीं किया गया था । उसने यह भी स्वीकार किया है कि उसका बहनोई तोरण साहू शराब का सेवन करता था । इस साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि उक्त लघु कार्यक्रम में तोरण साहू को इस आशंका के कारण आमंत्रित नहीं किया गया था, कि कहीं वह आकर निरूपा साहू का विवाह न तुड़वा दे । इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि तोरण साहू ने किन कारणों से आत्महत्या की, इसकी उसे कोई जानकारी नहीं है ।

18. इस प्रकार, स्वयं निरूपा साहू (अ.सा.–2), नीतू साहू (अ.सा.–7) तथा उनका भाई चंपेश कुमार साहू (अ.सा.–8) के कथनों से यह प्रकट होता है कि निरूपा साहू के विवाह से संबंधित आयोजित लघु कार्यक्रम में तोरण साहू (मृतक) को जानबूझकर आमंत्रित नहीं किया गया था, क्योंकि उन्हें यह शंका थी कि वह विवाह तुड़वा सकता है । ऐसी स्थिति में, जिस प्रकार का विवाह तुड़वाने का आरोप अभियुक्त पर लगाया गया है, उसी प्रकार का आरोप स्वयं मृतक पर उसके परिजनों द्वारा संकेतित किया गया है । परिणामस्वरूप, यह तथ्य कि घटना दिनांक 23/06/2021 को मृतक तोरण साहू ने अभियुक्त की धमकी अथवा प्रताड़ना के फलस्वरूप आत्महत्या की हो, पूर्णतः संदेहास्पद हो गया है ।

19. न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में उपरोक्त साक्ष्य–विवेचना के परिणामस्वरूप यह न्यायालय पाती है कि विचारण न्यायालय द्वारा अंकित दोषमुक्ति का निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के विपरीत अथवा विरोधाभासी नहीं है तथा प्रश्नाधीन दोषमुक्ति के निर्णय में किसी प्रकार की अवैधता या अशुद्धता परिलक्षित नहीं होती; इसलिए उसमें हस्तक्षेप किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं पाई जाती ।

2026:CGHC:3511

20. अतः दोषमुक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत यह अपील स्वीकार योग्य न होने से **खारिज** की जाती है ।

21. निर्णय की प्रतिलिपि के साथ विचारण न्यायालय का अभिलेख शीघ्रतापूर्वक वापस प्रेषित हो ।

सही/–
(संजय कुमार जायसवाल)
न्यायाधीश

पोमन